छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ःःमंत्रालयःः

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक /एफ 2025-22-00738/वि/नि/चार/2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15/05/2025 प्रति,

प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर

विषयः—वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग—2 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत "ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान" को वित्तीय अधिकार का प्रत्यायोजन।

--0--

वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग—2 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत **ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान** से संबंधित वित्तीय अधिकार संलग्न परिशिष्ट अनुसार प्रत्यायोजित किया जाता है।

2/ यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा। संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> > अपर सचिव

(GI. V. a). (HE) 4/5/2015

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

314 पृ. क्र. /एफ 2025—22—00738/वि/नि/चार/2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक**ि**/05/2025 प्रति,

- 1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
- 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
- 3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
- 4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
- 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर
- 6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
- 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
- 8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
- 9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
- 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
- 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
- 12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर—19, नवा रायपुर अटल नगर
- 13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
- 14. समस्त विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
- 15. संचालक, कोष एवं लेखा / पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
- 16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
- 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
- 18. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर
- 19. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
- 20 समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- 21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर
- 22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
- 23. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

24. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की बेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में वित्तीय शक्तियां

Panchayat and Rural Development Department

Financial powers in respect of Thakur Pyarelal State Institute of Panchayat and Rural Development

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ठाकर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में वित्तीय शक्तियां

| स.क्र. | विवरण | शाक्तयां का प्रयाग करन वाले सक्षम अधिकारी | प्रत्यायोजन की सीमा | शते |
|--------|--|--|------------------------|--|
| E | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | उपकरण, लघु उपकरण एवं औजार क्रय की स्वीकृति | 1. विकास आयुक्त | पूर्ण शक्तियां | बशर्ते कि नवीन मद की सीमा से अधिक होने पर नवीन मद में शामिल रहे। |
| | , | 2. संचालक/ संयुक्त संचालक | रू. 1 लाख | |
| | कार्यालय फर्नीचर, उपकरणों एवं यंत्रो के क्रय की स्वीकृति | 1. विकास आयुक्त | पूर्ण शक्तियाँ | बशर्ते कि नवीन मद की सीमा से अधिक होने पर नवीन मद में शामिल रहे। |
| | | 2. संचालक | ক. 2 লা ख | |
| | ार्डवेयर का कय, जिसमें सर्वर, ानीटर, की बोर्ड तथा माऊस | 1. विकास आयुक्त | पूर्ण शक्तियाँ | बशर्ते कि नवीन मद की सीमा से अधिक होने पर नवीन मद में शामिल रहे। |
| | शामिल हो। | 2. संचालक | रू. 1 लाख | |
| - 1 | कम्प्रूटर हार्डवेयर के सहायक उपकरणों का क्रय | 1. विकास आयुक्त | पूर्ण शक्तियाँ | बशर्ते कि नवीन मद की सीमा से अधिक होने पर नवीन मद में शामिल रहे। इसमें प्रिंटर, स्कैनर, प्लाटर वेब कैमरा, स्पीकर, कम्बो ड्राइव, प्लापी ड्राइव, यू पी.एस, इनतर्टर, रैम हाई टिस्क, स्मार्ट काई रेटी एस्लेप हमहत, बागोभेरिक |
| | | 2. संचालक | ক. 1 লাগ্ৰ | िंद्राइसेस शामिल है। |
| 1 | शिक्षण सामग्री (Teaching aids) कय की स्वीकृति | संचालक | पूर्ण शक्तियाँ | बशर्ते कि नवीन मद की सीमा से अधिक होने पर नवीन मद में शामिल रहे। इसमें लेपटाप एवं एल.सी.डी. प्रोजेक्टर शामिल है। |
| | प्रशिक्षण कक्षों/छात्रावास/अतिथि गृह/सामुदायिक केन्द्र इत्यादि के लिए फर्नीकर कर की स्मीक्सि | 1. विकास आयुक्त | पूर्ण शक्तियाँ | बशतें कि नदीन मद की सीमा से अधिक होने पर नदीन मद में शामिल रहे। कार्यालयीन व्यय की श्रेणी में शामिल सामग्रियों सम्मिलित नहीं है। |
| | | 2. संचालक | क. 4 लाख | कार्यालयीन व्यय की श्रेणी में शामिल सामग्रियों सम्मिलित नहीं है। |
| \ | | 3. संयुक्त संचालक | रू. 1 लाख | |

Panchayat and Rural Development Department

| | ı | | | Ī |
|---|----------------------|--|--|----------|
| • | Rs. 1 lakh | 3. Joint Director | | <u>ر</u> |
| Items included in the category of office expenses are not included. | Rs. 4 lakhs | 2.Director | | |
| Provided that the item is included as a new item in the Budget if it is in excess of the limit of new item. Items included in the category of office expenses are not included. | Full powers | 1.Development Commissioner | To sanction purchase of furniture for training rooms/hostels/guest houses/ Auditorium etc. | 6 |
| Provided that the item is included as a new item in the Budget if it is in excess of the limit of new item. This includes a laptop and LCD projector. | Full powers | Director | To sanction purchase of teaching aids | 5 |
| plotter, webcam, speaker, combo drive, floppy drive, U.P.S., Inverter RAM, High Disk Smart Card, Ready Flash Drive, Biometric Devices. | Rs. 1 lakh | 2 Director | | |
| Provided that the item is included as a new item in the Budget if it is in excess of the limit of new item. It includes printer, scanner, | Full powers | 1.Development Commissioner | To sanction purchase of computer hardware accessories | 4 |
| | Rs. 1 lakh | 2.Director | | |
| Provided that the item is included as a new item in the Budget if it is in excess of the limit of new item. | Full powers | 1.Development Commissioner | To sanction purchase of computer hardware, including server, CPU, monitor, keyboard and mouse. | ω |
| | Rs. 2 lakhs | 2 Director | | |
| Provided that the item is included as a new item in the Budget if it is in excess of the limit of new item. | Full powers | 1. Development Commissioner | Sanction purchase of office furniture, equipments and apparatus | 2 |
| | Rs. 1 lakh | 2.Director/Joint Director | | |
| Provided that the item is included as a new item in the Budget if it is in excess of the limit of new item. | Full powers | 1.Development Commissioner | Sanction purchase of instruments, minor equipments and apparatus | 1 |
| (5) | (4) | (3) | (2) | (1) |
| conditions | Extent of delegation | Authority competent to exercise powers | Description | SI. No |
| ite of Panchayat and Rural Development | tate Institut | respect of Thakur Pyarelal State Institu | E. | |

| • | | | | | | | |
|---|------------|---|--|---|--|---|--|
| शर् | (5) | | | टी.ए. / डी.ए. का संदाय शासकीय सेवकों को लागू श्रेणी के अनुसार किया जावेगा। | | | बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार |
| प्रत्यायोजन की सीमा | (4) | पूर्ण शक्तियाँ रू. 1 लाख | पूर्ण शक्तियाँ रू. 5 लाख तक | पूर्ण शक्तियाँ | प्रत्येक प्रकरण में रू. 5,000 तक | पूर्ण शक्तियाँ | पूर्ण शक्तियाँ |
| शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम अधिकारी | (3) | 1. संचालक 2. संयुक्त संचालक | 1. विकास आयुक्त 2. संचालक | संचालक | संघालक | संचालक | संचालक |
| विवरण | (2) | मृत स्कंध भण्डार के अनुपयोगी अप्रचलित अथवा अतिशेष सामग्रियों का आम नीलामी द्वारा निराकरण की शक्ति | देश के प्रशिक्षण संस्थाओं की सहायता से या सहायता के बिना, संस्थान में पाठ्यक्रम संचालन करने की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति देने की शक्ति | संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम हेतु आने ब वाले संकाय सदस्यों/विशेषज्ञों का टी.ए. तथा डी.ए. की स्वीकृति | पाठ्यक्रम परिकल्पित करने वाले सलाहकारों की फीस भुगतान की स्वीकृति | अतिथि संकाय सदस्यों को निःशुत्क परिवहन उपलब्ध करानें की स्वीकृति | पाठ्यक्रम, सीमेनारों तथा कार्य शालाओं में भाग होने वालों तथा संकाय सदस्यों को चाय, कॉफी, स्वल्पाहार, दोपहर का मोजन (फिसमें विकैंग लंच तथा पैक्ड लंच शामिल है), रात का भोजन उपलब्ध कराने के व्यय स्वीकृति की शक्तियाँ, जहाँ निबंधनों में ऐसा अपेक्षित हो। |
| ਜ. <i>ភ</i> . | (E) | 1 6 6 A | 31 α α της ω | ्या च प्र | 10 | <u>+</u> | 12 |

__

| शर्ते | (9) | बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमीदित दरों के अनुसार | | | बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार | बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार | |
|---|-----|---|---|---|--|--|---|
| प्रत्यायोजन की सीमा | (4) | पूर्ण शक्तियाँ | पूर्ण शक्तियाँ | पूर्ण शक्तियाँ | पूर्ण शक्तियाँ | पूर्ण शक्तियाँ | पूर्ण शक्तियाँ |
| शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम अधिकारी | (3) | संचालक | संचालक | संचालक | संचालक | संचालक | संचालक |
| विवरण | (2) | संकाय सदस्यों जिन्हें संस्थान में विभिन्न पार्वक्रमों का संचालन करने हेतु आमंत्रित किया गया है, के आवास व्यवस्था का व्यय स्वीकृत करने का अधिकार | प्रशिक्षणार्थियों तथा उनके साथ आने वाले व्यक्तियों के मनोरंजन पर हुए व्यय की स्वीकृति के अधिकार | प्रशिक्षणार्थियों तथा उनके साथ आने वाले व्यक्तियों की अध्ययन यात्रा के संबंध में व्यय की स्वीकृति के अधिकार | राज्य में कहीं भी संस्थान द्वारा संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रम के संबंध में अतिथि व्याख्याता/ प्रशिक्षण संचालक/ सहमागियों को मानदेय/ भत्ते तथा अन्य आकस्मिक व्यय पर होने वाले व्यय की स्वीकृति के अधिकार | थ गृह में कमरों के | शासन द्वारा निर्धारित दरों पर कार्यों हेतु निजी मोटर वाहन के उपयोग की स्वीकृति |
| 대 관 - | Ξ | 13 4 9 9 | 4- | ر ا وا ها | 16 3 3 4 4 3 | 77 | 82 |

| f |) | Ţ | 7 | | T | Т | | | | . | - | |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------|--|---|
| | 0.7 | 18/ | | 5 | | 2 | 4 | | 13 | 3 | · | 2 |
| | r works at rates fixed by | Allowance for use of private motor I | trainees in the Institute's hostel/guest house | | n with study tour of trainees and companying them | ent of trainees and persons ying them | Authority to sanction expenditure on | members who have been invited to conduct various courses at the Institute | Powers to sanction expenditure on | (2) | Description | |
| | | Director | Director | Director | Director | | Director | | Director | (3) | Authority competent to exercise powers | |
| | rull powers | 7.11 | Full powers | Full powers | Full powers | run powers | | | Full powers | (4) | Extent of delegation | |
| | | | As per the rates approved by the BOG | As per the rates approved by the BOG | | | | | As per the rates approved by the BOG | (5) | conditions | |

| - | , | | | | |
|---|--------------|---|---|---|---|
| शर्त | (5) | बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार | | | (क) मूल नियम ९ (६) (डी) के अन्तर्गत प्रशिक्षणकाल में प्रशिक्षुओं को कर्तव्य पर समझा जायेगा तथा उसे समय—समय पर देय वेतन—भत्ते की पात्रता होगी। (ख) प्रशिक्षण केन्द्र तक जाने एवं वापस आने के लिये वह दौरे पर समझा जायेगा तथा नियमनुसार TA & DA का हकदार होगा। (ग) प्रशिक्षण स्थल पर विराम की अवधि तथा प्रशिक्षण के दौरान अध्ययन भ्रमण दौरा के समान अवधि मानी जायगी। (घ) राज्य सरकार तथा मारत सरकार तथा उनके द्वारा संवालित संस्थाओं द्वारा संवालित पार्व्यक्रम तथा भारत सरकार तथा आसकीव सैवकों को नियमित रूप से प्रायोजित किया जाना हो तथा खुरक को भुगतान की स्वीकृति वित्त विभाग के द्वारा पूर्व उदाहरणों में प्रदान की गई हो।। [टेपणी— जहाँ किसी संस्था अथवा एजेन्सी या मारत सरकार के द्वारा प्रशिक्षण के लिये TADA/CA/ stipend देय है, वहाँ वह राज्य सरकार की ओर से पृथक् रूप से देय नहीं होगा। |
| प्रत्यायोजन की सीमा | (4) | पूर्ण शाक्तियाँ | पूर्ण शक्तियाँ | पूर्ण शक्तियाँ | पूर्ण शाक्तियाँ |
| शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम अधिकारी | (3) | संचालक | संचालक | संचालक | प्रशासकीय विभाग |
| विवरण | (2) | सेमीनार, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों इत्यादि से संबंधित कार्य हेतु अवकाश अवधि में अथवा सामान्य कार्यावधि के बाहर अतिरिक्त कार्य करने के लिए संस्थान के अधिकाशे/कर्मचारियों को मानदेय स्वीकृत करने की शक्ति | छ।त्रावास तथा कार्यालय फर्नीचर एवं सभी उपकरणों की मरम्मत | ए.सी. प्लांट, संबार सामग्री (EPABX), कम्प्यूटर, वाटर कूलर के वार्षिक संधारण की स्वीकृति | भारत के अंदर प्रशिक्षण, सेमीनार, या रिफेशर पाद्यक्रम के लिए शासकीय कर्मचारियों को भेजने की शक्तियों |
| स.क. | (J) | 91 | 20 | 21 tz | 22 |

| (a) The trainees would be treated as on duty during training period under F.R. 9 (6) (d) and would be entitled to pay and allowances as admissible to them from time to time. (b) Journeys up to the training centre and back would be treated as on tour and T.A. & D.A. therefore admissible as per rules. (c) The period of stay at the training centre and study tour during training will be treated as period on tour. (d) These powers relate to the courses organised by the State Govt. and the Govt. of India and the institution run by them and /or the courses to which the government servants are sponsored regularly and the payment of fee was approved by FD in an earlier instance. Note: Where T.A./ D.A. / C.A. / Stipend is payable by any institution or Agency or Government of India for training the same would not be separately admissible from the State Govt | Full powers | Administrative Department | Powers to send Government servants for training, seminars or refresher courses within India | 22 |
|--|----------------------|--|--|----------|
| | Full powers | Director | To sanction annual maintenance of A.C. Plant, Communication Materials (EPABX), Computer, Water Cooler | L |
| | Full powers | Director | Repair of hostel and office furniture and all equipments | 20 |
| As per the rates approved by the BOG | Full powers | Director | officers/employees of the Institute for officers/employees of the Institute for performing extra work during vacation period or outside normal working hours in connection with seminars, workshops, training programmes, cultural programmes etc. | 7 |
| (5) | (4) | (3) | (2) | |
| conditions | Extent of delegation | Authority competent to exercise powers | Description | , SI. No |

| शर् | (1) जब एक अराजपत्रित कर्मचारी अपने कार्यालय से कुछ दूरी पर कर्तव्य हेतु भेजा जाता है या राजपत्रित अधिकारी के विशेष आदेश से सामान्य कार्य घंटो से बाहर, अपने कार्यालय में आहूत किया जाता है। (2) कार्यालय प्रमुख यह अभिप्रमाणित करते है कि किया गया वास्तविक व्यय अपरिहार्य या और उपयोग किए गए वाहन के लिए भुगतान किया गया किराया निर्धारित मानदंड के अंतर्गत है। (3) ऐसा प्रमाण पत्र अभितिखित किया जाना चाहिए कि स्टाफ वाहन उक्त कार्य में उपलब्ध नहीं कराया जा सका। (4) यदि एक ही स्थान पर जाने के लिए उसी समय एक से अधिक अधिकारी का जाना अपेक्षित हो, तो वाहन साझा किया जायेगा। (5) शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों में विहित दरों के अनुसार | | | बजट प्रावधान की सीमा तक |
|---|--|---|--|-------------------------|
| प्रत्यायोजन की सीमा | पूर्ण शक्तियाँ | रू. 10 लाख रू. 1 लाख | क 2 लाख | |
| शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम अधिकारी | संचालक | | संचालक | |
| () | (य) स्टाफ वाहन किराये के भुगतान की स्स्वीकृति (क) जब वाहन किराये से लेने की आवश्यकता शासकीय उपयोग के लिए उद्भूत हुई हो (ख) स्टाफ वाहनों की कमी के कारण विशिष्ट अतिथियों के उपयोग के लिए | प्रशिक्षण छात्रावास के लिए कपड़ा, बिस्तर 1. विकास आयुक्त कय करने की शक्ति 2. संघालक | उद्यान के अनुरक्षण के लिए सामग्री का संचा क्य | |
| H.A. | | 24 | 25 क | " " |